## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस

**निर्णय दिनांकः— 31-3-21**

**अपील संख्याः 43/20**
**(जीसीएमएस संख्या 2020/00129)**

1. मलुराम पुत्र केसराराम जाति मेघवाल निवासी चक 5 डीएल खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. चौथूराम पुत्र केसराराम जाति मेघवाल निवासी चक 5 डीएल खारबारा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़**
**दिनांक 04—11—2020**

**उपस्थितः—**

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1

**—निर्णय—**

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 04—11—2020 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील छत्तरगढ़ के चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर [illegible] 20 तादादी 10 बीघा भूमि एवं किला नम्बर 25 [illegible] कुल 11 बीघा भूमि बतौर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी कृषि भूमि चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्र 169/32 के किला नम्बर 21 ता 25 तादादी 04 बीघा भूमि स्थिति है। जिस पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 25 में से 02—02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने दिनांक 04—11—2020 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 25 में से 01—01 बिस्वा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य को रास्ता उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि मुरब्बा नम्बर 170/17 में किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अर्सेदराज से उक्त भूमि जोकि मुरब्बा नम्बर 169/32 के बिल्कुल चिपते ही है, आवागमन करता आ रहा है। और मौके पर रास्ता काफी समय से चल रहा है। जबकि वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में से आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को साबित करने का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 169/32 में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व से ही आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है तो धारा 251ए के तहत नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

अपनी सुविधा के लिये नये रास्ते की मांग नहीं कर सकता। नये रास्ते की मांग तभी की जा सकती है, जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने कारण धारा 251 ए के प्रावधान प्रस्तुत मामलें पर लागू नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

जहॉ तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी से से मंगवाई जानी अपरिहार्य है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रेषित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि पत्रावली में शामिल तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत् भूमि तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, यह रिपोर्ट किसके द्वारा व कब तैयार की गई व किसकी उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई, इसका कोई विवेचन अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 69 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंधन करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दुराभि संधि से व रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2017 पार्ट I पेज 541 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 21 ता 24 में 04 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अपीलांट की खातेदारी भूमि मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 25 में से 01—01 बिस्वा रास्ते की मांग की गई।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आये तथा उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत किया गया। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अपीलांट का यह कथन कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा भू—अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा तैयार/प्रेषित नहीं की गई है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कथन किया गया वादग्रस्त भूमि के बाबत् दिनांक 27—10—2020 को प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि आज दिनांक 27—10—2020 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के साथ मौके की स्थिति देखी [illegible] में जब स्वयं उपखण्ड अधिकारी द्वारा मौका देखा जाना [illegible]ट से [illegible]बित है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट की यह आपत्ति कि रिपोर्ट [illegible] तहसीलदार अथवा भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार/प्रेषित नहीं की गई है, का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 13:36:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में जहाँ तक वादग्रस्त भूमि पर रास्ता कायम करने का प्रश्न है, चूंकि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 21 ता 24 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने व यह तथ्य साबित होने पर कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही उक्त रास्ता स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार स्वयं मौका निरीक्षण करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 25 में से 01–01 बिस्वा उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम सींव पर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में जहाँ [illegible] रास्ते के मामले में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा [illegible] के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट संबंधित तहसील[illegible] अथवा भू–अभिलेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 27—10—2020 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि आज दिनांक 27—10—2020 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय छत्तरगढ़ के साथ पं.स. खारबारा के ग्राम/चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 तथा 170/17 की मौके की स्थिति देखी। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर निरीक्षण व रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 21 ता 24 में आवगामन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/3 2 में आवागमन हेतु मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 25 में 01—01 बिस्वा उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम सींव पर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉंच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुँचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉंच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में [illegible] रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी [illegible] हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं [illegible] आदेश जो अपील पारित किया गया है।

निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया तैयार किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के बाबत् रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट दिनांक 27–10–2020 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि आज दिनांक 27–10–2020 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय छत्तरगढ़ के साथ पं.स. खारबारा के ग्राम/चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 तथा 170/17 की मौके की स्थिति देखी। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर निरीक्षण व रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रथम दृष्टया साबित है।

प्रस्तुत मामलें में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नजरी नक्श के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 21 ता 24 में आवगामन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/3 2 में आवागमन हेतु मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 25 में 01–01 बिस्वा उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम सींव पर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है।

धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में स्वयं मौके निरीक्षण [illegible] रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को उसकी खातेदारी भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में [illegible] अपील पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 13:56:57 IST
Reason: SelfAttested

हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर चक चक 5 डीएल के मुरब्बा नम्बर 169/32 के किला नम्बर 25 में से 01—01 बिस्वा उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम सींव पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 04—11—2020 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 31-3-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.07.28 13:36:57 IST
Reason: SelfAttested